अल्पकालीन निविदा सूचना

नगर पालिका परिषद चमोली–गोपेश्वर को वर्ष 2014–15 में अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान के सापेक्ष पालिका में वर्ष 2014–15 में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्न निर्माण कार्यो के दो लिफाफा प्रणाली(प्रथम लिफाफा–तकनीकी एवं द्वितीय लिफाफा वित्तीय जिन पर साफ–साफ कार्य का नाम व ठेकेदार का नाम भी लिखा हो और दोनों लिफाफे एक बड़े लिफाफे में शील बन्द हो) के तहत शीलबन्द निविदायें उल्लिखित शर्तो के अधीन दिनांक–1/7/14 को अपरान्ह 2.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदा इसी तिथि को अपरान्ह 3.00 बजे खोली जायेगी। निविदा खोलते समय निविदादाता उपस्थित रह सकता है। निविदा प्रपत्र दिनांक–30/6/14 को कार्यालय समय तक बेची जायेगी। निविदा से सम्बन्धित अन्य शर्ते टेण्डर फार्म के साथ संलग्न की गई है। साथ ही जनपद की बेंवसाइट http://chamoli.nic.in में नगर पालिका परिषद के अन्तर्गत देखा जा सकता है।

क्र	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (लाखरू)	जमानत राशि	निविदा मूल्य + वैट	कार्यपूर्ण करने की अवधि	निविदा वैधता तिथि
1	विवाह स्थल निर्माण कार्य	22.25	44500.00	250+ VAT	6 माह	45 दिन

निविदा की शर्ते :– 1–कार्य की लागत की 2,3,4,5 प्रतिशत धनराशि धरोहर धनराशि बचत पत्र/किसान विकास पत्र/ राष्ट्रीय बचत पत्र जो कि अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, चमोली–गोपेश्वर के नाम बन्धक हो वह निविदा के साथ लगाना अनिवार्य होगा।

2– बिना धरोहर धनराशि संलग्न किये निविदा पर विचार नही किया जायेगा।

3– सशर्त निविदा मान्य नही होगी।

4– समय–समय पर निर्गत शासनादेशानुसार व्यापार कर, आयकर, रायल्टी एवं अन्य कर कटौतियॉ ठेकेदार के बीजक से की जायेगी।

5– निविदा के साथ ₹ 100.00 के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर लगाना आवश्यक होगा।

6– **निविदा स्वीकृत होने की दशा में ठेकेदार को नियमानुसार अनुबन्ध करते समय उपरोक्त निर्देशों के क्रम में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2008 के अनुसार रू0–5.00 लाख से अधिक के कार्या पर 2 प्रतिशत जमानत धनराशि जो कि केवल राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में हो अधोहस्ताक्षरी के पदनाम से उपरोक्तानुसार बन्धक रखनी होगी।**

7– टेण्डर साफ भरना चाहिए ओर उसमें कोई ओवर राइटिंग नही होनी चाहिये।

8– निविदायें दो भागों में जमा की जायेंगी। एक बन्द लिफाफा तकनीकी निविदा (Technicial Bid) एवं दूसरा लिफाफा वित्तीय निविदा (Financial Bid) का होगा। पहले तकनीकी निविदा का लिफाफा खोला जायेगा एवं जिन कम्पनियॉ/ फर्मो/ व्यक्तियों की समस्त शर्त पूर्ण होगी, केवल उन्ही की वित्तीय निविदा द्वितीय चरण में खोली जायेगी। निविदापत्र में किसी प्रकार की कटिंग/ ओवरराईटिंग मान्य नही होगी। निविदा की दर में सभी कर/ टैक्स सम्मिलित होगें।

9– निविदादाता को निविदा शर्त को पढ एवं समझकर निविदापत्र भरना होगा। यदि इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करना चाहे तो किसी भी कार्यदिवस मे कार्यलय नगर पालिका परिषद, चमोली–गोपेश्वर में जानकारी प्राप्त की जा सकती

10– **निविदा से सम्बन्धित समस्त अधिकार, अध्यक्ष, निविदा समिति /क्रय समिति नगर पालिका परिषद, चमोली–गोपेश्वर में निहित होगें। किसी भी निविदा/सभी निविदाओं के सम्बन्ध में अध्यक्ष निविदा समिति का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा। निविदा समिति के मागें जाने पर निविदा दाता को मूल प्रमाण पत्र तत्समय ही प्रस्तुत करने होंगें।**

11– निविदा के सम्बन्ध में पक्ष समर्थन करना निषेध है। ऐसा होने पर सम्बन्धित निविदादाता की निविदायें अस्वीकृत की जा सकती हैं।

12– निविदा स्वीकृति की सूचना के एक सप्ताह के अन्दर प्रत्येक दशा में अनुबन्ध गठित करना होगा। ऐसा न होने पर धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

13– निविदा स्वीकृत होने उपरान्त निविदादाता द्वारा अनुबन्धपत्रों की शर्तो का उल्लंघन करने पर अनुबन्ध के प्रावधानों के अनुसार भारतीय दण्ड संहित व सुसंगत आवश्यक नियंत्रण आदेशों के अधीन वैधनिक कार्यवाही की जायेगी।

14– कार्य आदेश होने पर यदि निविदादाता निर्धारित समय मे कार्य करने में अक्षम रहता है अथवा अनुबन्ध की शर्तो का उल्लंघन करता है तो उसकी जमानत की धनराशि जब्त कर ली जायेगी। और इसके कारण हुए अतिरिक्त व्यय की प्रतिपूर्ति निविदादाता को करनी होगी।

15– कार्य के सम्पादन में यदि किसी प्रकार की क्षति विभाग को होती है तो इसका हर्जाना सम्बन्धित ठेकेदार को देना होगा।

16– ठेके के सम्बन्ध में विभाग द्वारा कोई भी सामग्री तथा मजदूर परिवहन तथा स्टोर व्यवस्था का प्रबन्ध नही किया जायेगा। यह सम्पूर्ण व्यवस्था निविदादाता को करनी होगी।

(एस0पी0भट्ट)
अधिशासी अधिकारी

(संदीप सिंह रावत)
अध्यक्ष

कार्यालय नगर पालिका परिषद चमोली–गोपेश्वर।

सं0–1477 /अवस्थापना/2013–14/दिनांक–16 जून 2014

<u>प्रतिलिपि</u>–निम्न लिखित को प्रेषित:–

6. संवाददाता राष्ट्रीय सहारा गोपेश्वर को इस आशय से प्रेषित कि कृपया शासकीय दर पर उपरोक्त निविदा न्यूनतम् स्पेश पर सूचना को प्रकाशित करने का कष्ट करें।
7. जिलाधिकारी चमोली।
8. एन0आई0सी0 चमोली को जनपद की बेवसाइट http://.chamoli.nic.in मे नगर पालिका परिषद के अन्तर्गत विस्तृत प्रचार–प्रसार के लिए अपलोड किये जाने हेतु।
9. कार्यालय सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद.
चमोली–गोपेश्वर।